तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-3-2020	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2018 अनवान सुनिता वगैरा बनाम सुखी वगैरा अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 96/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 में हुई भूलवश गणितीय त्रुटि में संशोधन करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया तहसीलदार लूणी से विधिवत तामिली रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल मिसल हैं। दौराने सुनवाई अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये। तहलसीदार लूणी से वर्तमान राजस्व रेकर्ड की रिपोर्ट ली गई। जो पत्र कमांक/कोर्ट/2020/29 दिनांक 03.03.2020 के द्वारा प्राप्त हुई। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया हैं। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 96/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 एवं पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 में अप्रार्थीगण 1 से 6 दर्ज हैं तथा कम संख्या 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी हैं। उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 96/2014 में पारित आदेश में ग्राम खेजड़ली कलां के खसरा नं. 472/3 के नामान्तरकरण संख्या 1007 स्वीकृत करते समय 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज की गई थी इस पृविष्टि को हटाये जाने के आदेश तहसीलदार लूणी को दिये गये थे। इसमें प्रथम दृष्टया अप्रार्थी संख्या 1 से 3 लिपिकीय त्रुटिवश अंकित होना प्रतीत होता हैं। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1007 के कॉलम संख्या 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें 1 से 6 खातेदार दर्ज हैं। जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है और इस न्यायालय द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 96/2014 अनवान सुनिता वगैरा बनाम सुखी उर्फ सुकड़ी में पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 मे पैरा संख्या 5 की चौथी लाईन में हुई लिपिकीय गणितीय त्रुटि में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 संशोधित किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner